

Form No. III
फर्द—अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

न्यायालय सहायक कलेक्टर चित्तौड़गढ़

मुकाम

चित्तौड़गढ़

दीक्षा

बनाम

झमकु वगैराह

किस्मा मुकदमा

राजस्व वाद

नं०

208

सन्

2012

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11.10.2019	<p>वकील वादी के निवेदन पर पत्रावली सिगहे से तलब की गई। पत्रावली पेश हुई। वकील वादी बीएल पोखरना हाजिर। हाजिर वकील ने आदेशिका पर NOT PRESS अंकित कर निवेदन किया कि प्रकरण में वादी अपना वादपत्र नहीं चलना चाहते हैं अतः प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। हाजिर वकील वादी द्वारा की गई बहस बाबत विद्वा को एक तरफा सुना गया। मनन किया। वादी स्वयं अपना वाद नहीं चलाना चाहते हैं ऐसी स्थिति में वकील वादी के निवेदन को स्वीकार किया जाता है। वादी का वादपत्र अंतर्गत धारा 251 'क' RTA 1955 को विद्वा में खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">- ह० - (विनोद कुमार) सहायक कलेक्टर, (उपखण्ड अधिकारी), चित्तौड़गढ़ 11.10.2019</p>	

